राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 626 / 2025

डॉ. शारदा टांक —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद, राजस्थान अजमेर।
3. डॉ. मीना कुमारी, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, वैशाली नगर, जयपुर—अ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, वैशाली नगर, जयपुर—अ में कार्यरत हैं। अपीलार्थी को आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापन प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा किया गया था। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—2) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण चिकित्सा अधिकारी दर्शाते हुए वर्तमान पदस्थापन स्थान से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सांभरिया, जयपुर—ब में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.06.2017 (अनुलग्नक—3), जिसके द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संवर्ग की संवर्ग समीक्षा के पश्चात् पदों का निर्धारण किया गया था, के विरूद्ध किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 10 माह की अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान सेवा नियम—1973 के नियम—20 के विपरीत जाकर जारी किया गया है। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को दूसरे कैडर में नहीं बदला जा सकता।

अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–II के पद पर प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, वैशाली नगर, जयपुर–अ में निरन्तर कार्य करने दिया जावे तथा वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, वैशाली नगर, जयपुर–अ में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, संभारिया, जयपुर–ब में प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के उच्चतर पद पर किया गया है। राज्य सरकार किसी भी कार्मिकों उच्चतर पद पर पदस्थापित कर सकती है। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 16.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य